भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1590

दिनांक 28.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत

पुरुलिया में भारी उद्योगों की स्थापना

1590. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतोः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वी भारत में खनिज संपदा, पर्याप्त भूमि और एक महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति होने के बावजूद, पुरुलिया जिले में अब तक कोई बड़ा भारी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सका है, जिससे स्थानीय रोजगार और औद्योगिक विकास प्रभावित हो रहा है;

(ख) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को पुरुलिया जिले में किसी बड़े उद्योग की स्थापना के लिए भूमि प्रदान करने का कोई प्रस्ताव भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) क्या सरकार का प्रस्ताव पुरुलिया को औद्योगिक दृष्टिकोण में विकसित करने के लिए किसी विशेष कार्य योजना शुरू करने का है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क): चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार उद्योग राज्य का विषय है, अतः भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) देश के किसी भी भाग, पुरुलिया जिले सहित, में भारी उद्योगों की स्थापना से संबंधित कोई केंद्रीकृत आंकड़ा नहीं रखता है।

(ख): मंत्रालय को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग): प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ): मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

***